पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

या 09/2019

योगेश कुमार पुत्र चतरूराम जाति सुनार निवासी बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
–वादी

बनाम

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर)नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
–प्रतिवादी

वाद :– दावा अं.धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

वकील वादी– श्री सुरेश कुमार सीगड
वकील प्रति0 – राज पैरोकार ना.तह.

निर्णय

निर्णय दिनांक 02.09.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमीन ख.न. 730/0.31, 731/0.18 किता 2 कुल रकबा 0.49है0 वाके ग्राम बडवासी की सरहद में स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है काबिज है लगान अदा करता है उपयोग उपभोग करता है। चतरूराम के फौत होने पर दिनांक 05.07.2018 को वारिसान का विरासत के आधार पर नामान्तकरण सं0 2123 दर्ज हुआ है जिसके तहत चतरूराम के वारिसान योगेशकुमार एवं नाथूराम के नाम रिकार्ड दर्ज हुआ है लकिन सहवन से वादी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम से नामान्तकरण में चतरूराम के पुत्र योगेश कुमार का नाम योगेशचन्द दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है इसी तहर चतरूराम का नाम रिकार्ड में चतरलाल दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज आ है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी का सही नाम योगेश कुमार है। इस प्रकार वादी का नाम आधार कार्ड में भी योगेश कुमार है जिसकी प्रति इस दावे के साथपेश की जा रही है एवं वादी के पिता का नाम चतरलाला रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हआ है जबकि वादी के पिता का नाम चतरलाला रिकार्ड में सहवन सेगलेत दर्ज हुआ है जबकि वा दी केपिता का सही नाम चतरूराम है जो कि वादी के आधार कार्ड की प्रति में स्पष्ट अक्षरों में दर्ज किया हुआ है। इसी तरह चतरूराम के बडे पुत्र नाथूराम के पिता का नाम भी रिकार्ड में चतरूराम के स्थान पर चतरलाल दर्ज हो गया है जिसको भी दुरूस्त किया जावे।

विरासत में नामा0 सं0 2123 दिनांक 05.07.2019 के आधार पर वादी का नाम सही नाम योगेश कुमार है जबकि रिकार्ड में योगेशचन्द गलत दर्ज हुआ है इसी प्रकार वादी के पिता का सही नाम चतरूराम है जबकि रिकार्ड में चतरलाल गलत दर्ज हुआ है इसी तहर की गलत एन्ट्री को शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिये दावा बाबत दुरूस्ती धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि ख.न. 730, 731 वाके ग्राम बडवासी के रिकार्ड में वादी का नाम योगेशचन्द के स्थान पर योगेश कुमार दर्ज किया जावे इसी तरह वादी के पिता का नाम चतरलाल के स्थान पर चतरूराम वादी के बडी भाई नाथूराम के पिता के नाम की एन्ट्री में चतरूराम दुरूस्त किया जावे इसी तरह की घोषणा की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा सह खातेदारों की सहमति से शुद्ध किया जाना उचित होना आदेशिका में अंकित किया गया है। अतः बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। फौटो प्रति आधार कार्ड में योगेश कुमार पुत्र चतरूराम व फोटो प्रति आधार कार्ड नाथूराम पुत्र चतरूराम का अंकन किया गया है। नकल जमाबंदी ग्राम बडवासी संवत 2075–78 के अनुसार भूमि ख.न. 730/0.31, 731/0.18 किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 की खातेदारी नाथूराम पुत्र चतरलाल हि0 3/8 जाति सुनार नागराम पुत्र लादूराम हि0 1/4 जाति सुनार योगेशचन्द्र पुत्र चतरलाल हि0 3/8 दर्ज रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रस्तुत वाद में सही नाम योगेश चन्द्र पुत्र चतरूराम तथा नाथूराम पुत्र चतरूराम को में दुरूस्त करवाना चाहा गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बडवासी की भूमि ख.न. 730, 731 रकबा कुल 0.49 है0 में योगेश चन्द्र पुत्र चतरलाल, नाथूराम पुत्र चतरलाल के स्थान पर योगेश कुमार पुत्र चतरूराम नाथूराम पुत्र चतरूराम जाति सोनी दुरूस्त किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner